



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BB 048033

-6-

7- यह कि प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों को किराया धनराशि में परिवर्तन यानी घटाने या बढ़ाने का अधिकार न होगा और प्रथमपक्ष व उसके उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों को अवधि के पहले पट्टा समाप्त करने का भी अधिकार न होगा।

8- यह कि निम्नवर्णित सम्पत्ति 30 वर्ष हेतु पट्टे पर दी गयी है। पट्टा अवधि समाप्त होने पर पट्टा विलेख स्वतः समाप्त माना जायेगा।

9- यहकि पक्षगण ने इस लेखपत्र के सम्पूर्ण लेख को अच्छी तरह पढ़ व पढ़वा कर सुन व समझ कर तहरीर किया है जिसकी पूरी-पूरी पावन्दी पक्षगण व उनके उत्तराधिकारियों व स्थानापन्नों पर है व रहेगी।

इस वास्ते उभयपक्ष ने यह पट्टा तहरीर कर दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवें।

Principal
J.D.S. PUBLIC SCHOOL
Varanasi

24/06/18/4

Manager
JDS Public School
Varanasi

